कार्यालय जिलाधीश, रेवाड़ी। 396

आदेश

मानव जीवन के लिये खतरनाक नोवल कोरोना वायरस देश में फैलता जा रहा है। महामारी के बचाव के चलते लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। संज्ञान मे आया है कि उप–मण्डल बावल में भगत राम चौक/ सरछोटू राम चौक/ अम्बेडकर चौक बावल पर जो दुकानें हैं वहा पर लोगो के आने के कारण काफी भीड होती है। जिस कारण से यह संक्रमण फैलने का खतरा है। दुकानों को सम–विषम संख्या (बारी–बारी) से खुलवाया जाना आवश्यक है, जिससे नोवल कोरोना महामारी के बचाव के चलते लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

मैं यशेन्द्र सिंह, भा०प्रा०से०, जिलाधीश रेवाडी आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 30 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये सभी दुकानों को सम–विषम संख्या (बारी–बारी) से खुलवाने के आदेश देता हूँ।

विषम संख्या दुकान नम्बर महीने की तारीख अनुसार जैसे 1–3–5–7–9 आदि

सम संख्या दुकान नम्बर महीने की तारीख अनुसार जैसे 2–4–6–8–10 आदि

सचिव नगरपालिका बावल को निर्देश दिये जाते है कि सभी दुकानों पर नम्बर लगवाना सुनिश्चित करें। सचिव नगरपालिका बावल व थाना प्रबन्धक, बावल इन आदेशों की पालना करवाए। यह आदेश दिनांक 03.04.2020 से लागू होगें।

हस्ता–
यशेन्द्र सिंह, भा०प्रा०से०,
जिलाधीश, रेवाड़ी।

क्रमांक 4825–34 /कोविड–19 दिनांक 03/04/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1. पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी।
2. उप–मण्डल मजिस्ट्रेट कम इन्सीडेन्ट कमाण्डर, बावल।
3. डयूटी मजिस्ट्रेट कम इन्सीडेन्ट कमाण्डर।
4. थाना प्रबंधक, बावल।
5. सचिव नगरपालिका, बावल।
6. सचिव मार्किट कमेटी, रेवाड़ी।
7. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, रेवाडी।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रेवाड़ी।
9. स्टैनोग्राफर, उपायुक्त रेवाड़ी।
10. आशुलिपिक, नगराधीश रेवाड़ी।

Sanjeev 03/04/2020
संजीव कुमार, एच०सी०एस०
नगराधीश,रेवाड़ी।
कृतेः जिलाधीश, रेवाड़ी

Scanned by CamScanner